



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042023-245415
CG-DL-E-25042023-245415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1790]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2023/वैशाख 5, 1945

No. 1790]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2023/VAISAKHA 5, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2023

का.आ. 1878(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना (का.आ. सं. 3453(अ) दिनांक 27.07.2022), (का.आ. सं. 216(अ) दिनांक 13.01.2023) और (का.आ. सं. 4470(अ) दिनांक 22.09.2022), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में NH116A के कि.मी. 90 से कि.मी.162 (कार्यालय - जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, पूर्व बर्धमान, न्यायालय परिसर, बर्धमान) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "(28.08.2022 को "बाटगमैन" और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया)", (29.01.2023 को "बाटगमैन" और "द स्ट्रेट्समैन") और (14.10.2022 को "बाटगमैन" और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया") दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में NH116A के कि.मी. 90 से कि.मी.162 (कार्यालय - जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, पूर्व बर्धमान, न्यायालय परिसर, बर्धमान) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: पूर्व बर्धमान		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भतार				
	गांव का नाम: वनपाश (जे.एल.नं- 21)				
1	7986	निजी	शाली	0.0485633	अनुरीमा मिश्री, पिता- रामकृष्ण मिश्री, बनपास (7986)
	गांव का नाम: इरुआर (जे.एल.नं- 38)				
2	2082	निजी	शाली	0.0404694	बुद्धदेव साधु, पिता- लक्खीनारायण साधु, एरुआर (2082)
	तालुक का नाम: गलसी - II				
	गांव का नाम: सतिनन्दि (जे.एल.नं- 114)				
1	894	निजी	शाली	0.1011736	प्रबित्र कुमार द्वारी, पिता- कमला कांता द्वारी, सतीनंदी (894)
	तालुक का नाम: खंडघोष				
	गांव का नाम: मशिला (जे.एल.नं- 57)				
1	816	सरकारी	रास्ता	0.0082558	पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कलेक्टर (816)
	गांव का नाम: उखरिद (जे.एल.नं- 40)				
2	6697	निजी	शाली	0.0004047	अबू ताहेर सरकार, पुत्र बहाबडूी सरकार, उखरीद (6697)
	तालुक का नाम: मंगलकोट				
	गांव का नाम: हालिमपुर (जे.एल.नं- 61)				
1	271	निजी	रास्ता	0.0569	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (271)

2	706	निजी	रास्ता	0.053622	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (706)
गांव का नाम: मंगलकोट (जे.एल.नं- 64)					
3	14718	निजी	शाली	0.1273978	शेख सोलम मुस्तफा, पिता- शेख अब्दुल बारी, मंगलकोट (14718)
			कुल	0.4367866	

[फा. सं. NHAI/PIU-KOL/BMS/1/Vol-5/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2023

S.O. 1878(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, being (S.O No 3453(E) dated 27.07.2022), (S.O No 216(E) dated 13.01.2023) & (S.O No 4470(E) dated 22.09.2022), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH116A on the stretch of land from Km. 90 to Km. 162 (Office of the District Magistrate & Collector, Purba Bardhaman, Court Compound, Burdwan) in the district of PURBA BARDHAMAN in the state of WEST BENGAL;

And whereas the substance of the said notification has been published in “(Bartaman and The Times of India both dated 28.08.2022), (Bartaman and The Statesman both dated 29.01.2023) & (Bartaman and The Times of India both dated 14.10.2022); under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH116A in the stretch of land from Km. 90 to Km. 162 (Office of the District Magistrate & Collector, Purba Bardhaman, Court Compound, Burdwan) in the district of PURBA BARDHAMAN in the state of WEST BENGAL

State: WEST BENGAL			District: PURBA BARDHAMAN		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhatar					
Village: Banpash (J.L No. 21)					
1	7986	Private	Shali	0.0485633	Anurima Mistri, D/o- Ramkrishna Mistri Of Banpas 7986

	Village: Eruar (J.L No. 38)				
2	2082	Private	Shali	0.0404694	Buddhadev Sadhu, S/o- Lakkhinarayan Sadhu Of Eruar 2082
	Taluk: Galsi - II				
	Village: Satinandi (J.L No. 114)				
1	894	Private	shali	0.1011736	Prabitra Kumar Dwari, S/o-Kamla Kanta Dwari Of Satinandi 894
	Taluk: Khandaghosh				
	Village: Mashila (J.L No. 57)				
1	816	Government	Rasta	0.0082558	West Bengal Govt. On behalf of Collector 816
	Village: Ukhrid (J.L No. 40)				
2	6697	Private	Shali	0.0004047	Abu Taher Sarkar, S/o- Bahabaddi Sarkar Of Ukhrid 6697
	Taluk: Mangalkot				
	Village: Halimpur (J.L No. 61)				
1	271	Private	Rasta	0.0569	District Board 271
2	706	Private	Rasta	0.053622	District Board 706
	Village: Mangalkot (J.L No. 64)				
3	14718	Private	Shali	0.1273978	Seikh Solam Mostafa, Father- Seikh Abdul Bari Of Mongalkote 14718
			TOTAL	0.4367866	

[F. No. NHAI/PIU-KOL/BMS/1/Vol-5/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.